रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खंड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 268] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 2, 1974/कार्तिक 11, 1896

No. 268] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 2, 1974/KARTIKA 11, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 2nd November 1974

SUBJECT.—*Imports under Indo-Swedish Development Co-operation Agreement, 1974.*

No. 168-ITC(PN)/74.—The terms and conditions governing the issuance of import licences under the Indo-Swedish Development Co-operation Agreement, 1974, consisting of two segments (i) General Imports, and (ii) Imports from Sweden, as given in the Appendix to this Public Notice are notified for information.

APPENDIX

PREAMBLE

Swedish Assistance under the Indo-Swedish Development Co-operation Agreement, 1974, consists of two segment—(i) general imports; and (ii) imports from Sweden. In the case of first segment, imports can be effected from anywhere in the world on the basis of competitive global tendering and the assistance is in the form of a loan or credit, but in the case of the second segment, the imports can be effected or services can be obtained only from Sweden i.e. the goods must be manufactured in Sweden.

IMPORT LICENCE

1. The import licence will be issued on CIF basis, with an initial validity period of four months for contracting and twelve months for completion of shipments as well as payments. All payments must be completed within a month from the expiry of the licence.

2. Each import licence will bear a superscription, "Indo-Swedish Development Co-operation Agreement, 1974—General Imports" or "Indo-Swedish Development Co-operation Agreement, 1974—imports from Sweden" as the case may be. The suffixes in the licence code classification number will be "R/SW". These will also be repeated in the letter from the Chief Controller of Imports & Exports forwarding the import licence.

3. Within a fortnight of the receipt of the import licence, the importer should intimate to the Department of Economic Affairs (WE—I Section) the fact of receipt of the import licence indicating the number, date and value of the import licence and likely date by which the contract documents would be furnished.

4. The condition regarding contracting shall not be deemed to have been complied with unless complete contrant documents, as provided in para 21 below, are furnished within the stipulated period of four months.

5. Where this stipulation is not complied with within four months, the import licence will be deemed to have become invalid. The import licence, may, however, be revalidated on an application by the party, alongwith the reasons for not complying with the requirement in time.

6. The request for revalidation would be considered by the licensing authority on merits and the licence will be revalidated for contracting for a further period not exceeding two months. Any revalidation beyond the period will require the prior approval of the Department of Economic Affairs (WE-I Section).

CONTRACTING

7. A contract will normally comprise an Agreement signed by both the parties *viz.*, the Indian importer and foreign supplier or it may comprise the order placed by the Indian importer and the letter of acceptance thereof in unequivocal terms by the foreign supplier.

8. A contract comprising a series of correspondance between the two parties frequently amending/revising the various provisions will not be accepted. In such cases, it is necessary to prepare a final donument including therein the terms agreed to by both the parties and signed as such.

9. Normally, one contract, on the basis of firm prices has to be entered into with the foreign supplier for the whole amount of the licence. However, for special reasons; more than one contract becomes necessary, prior permission of the Department of Economic Affairs should be obtained, giving reasons for doing so.

TERMS OF CONTRACT

General

10. The contract should be placed on a C.I.F. or C&F basis and should clearly indicate F.O.B. Price, insurance charges and freight separately. All of these should be indicated in the foreign currency in which the payments are to be made. Contract must be entered only on C&F basis, by a Government agency or a public sector undertaking. If any importer desires to enter into a contract on f.o.b. basis, he should seek prior permission of the Department of Economic Affairs (WE-I Section), Ministry of Finance, New Delhi giving reasons for doing so.

11. If any commission is to be paid to the Indian agent of the foreign supplier, it will be shown separately from the value of the contract. The Indian agent's commission will be paid in Indian rupees but will be set off against the total value of the import licence.

12. The value of the contract should be expressed in the currency in which the payment is to be made to the foreign supplier. The conversion of these amounts into Rupees shall be made at the rates of exchange notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of the Customs Act, 1962 and prevailing on the date of issue of the import licence. The present rates of exchange are indicated in Annexure-I.

Value Limits of Contracts

13. Tho value of each contract should not be less than for an amount equivalent to Rupees seventy-five thousand.

Origin of Goods

14. (i) In the case of first segment *i.e.*, general imports segment, referred in the preamble, imports can be made from any country without restriction and should, as far as practicable, be on the international competitive basis. The licensee should while, submitting the contract documents, referred in para 21 (iii) below, furnish a statement of the bids received and the reasons for selecting the particular supplier and goods.

(ii) Under the second segment *i.e.* imports from Sweden, referred to in the preamble, the goods should be the goods manufactured in Sweden or the services to be rendered should be of Swedish origin. A stipulation as to the Swedish manufacture of goods or Swedish origin of services shall be incorporated in the contract.

Shipments

15. The contract should spell out delivery/Shipping schedules in specific terms indicating the month of each such delivery/shipment, as nlosely as possible.

Any subsequent deviation from the shipping schedule should be promptly notified to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (WE-I Section, North Block) New Delhi.

Payment Terms:

16. The Swedish Credit does not provide for deferred payments. Full payment will therefore be made to the foreign supplier in cash against shipments as indicated in the following paragraphs.

Advance payments

17. An advance payment upto a maximum of 10 per cent of the FOB Price of the supplies can be provided at the time of the contract coming into force.

Other payments

18. The amount left after the above payment will be payable *pro rata* according to the value of goods covered by each shipment, on the basis of the shipping schedule.

19. It should specifically be ensured that the terms of payment, *e.g.* amount payable on the contract becoming effective, and that payable against shipments etc. are set out in the precise terms in the contract with details showing the schedule of deliveries/payments etc. The value of the contract should invariably be broken down into F.O.B value, freight and insurance elements. The contract should also incorporac the provision indicated in paragraph 14 (ii) above, if necessary.

CUSTOMARY GUARANTEE

20. The importer may arrange and provide for in the agreement customary guarantee(s) which may be necessary for safeguarding his interest.

SUBMISSION OF CONTRACT DOCUMENTS

21. Within 20 days of the conclusion of the contract, the importer should send a letter accompanied by the following documents to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (WE-I Section) North Block, New Delhi:

(i) Four certified copies of the contract and any further amendment(s) duly executed in English language and signed by both the Indian importer and the foreign supplier.

(ii) Two photostat copies of the import licence (Exchange Control copy) valid for contracting on the date of execution of the contract/acceptance by foreign supplier of the order placed on him by the importer.

(iii) In the case of general imports segment, the statement mentioned in para 14(1) above.

(iv) Other particulars stipulated in Annexure-II, in duplicate.

The contract will be processed only after all these documents have been furnished by the importer.

LETTER OF AUTHORITY

22. If the contract is complete, the document etc. are in order, the import licence is valid for contracting and is considered eligible for financing under the Indo-Swedish Development Co-operation Agreement, 1974, Ministry of Finance will issue a letter of authority as in Annexure-III.

METHOD OF PAYMENTS

23. (i) Payments to the foreign suppliers are arranged through normal banking channels by establishing a letter of credit or on collection basis.

(ii) The Indian importer will establish a letter of credit only after the letter of authority referred to in the preceding paragraph has been issued by the Ministry of Finance and such letter of credit will strictly be in accordance with such letter of authority.

(iii) The authorised dealer in foreign exchange (Indian bankers) will not provide facilities for establishing a letter of credit to any Indian importer unless a letter of authority in this regard has been received by it direct from the Ministry of Finance and the Indian banker will provide such facilities or allow remittances only in accordance with the instructions contained in such a letter of authority.

24. It will be responsibility of the foreign banker with whom the letter of credit has been established, to forward to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Jeeven Deep Building, Parliament Street, New Delhi, one set of non-negotiable invoices/shipping documents at the same time as the foreign banker forwards such sets of documents to the Indian banker which opened the letter of credit. It is necessary for the Indian Banker to include a provision to this effect in the letter of credit to be established by him. The fact that one set of non-negotiable shipping documents has been so forwarded will be noted down by the foreign bankers in the covering letter to the Indian banker. The latter (Indian banker) will check this point in particular before taking further action on the documents.

25. (i) The Indian importer will, at the time of arranging payments, fill in an additional copy of Form A*, for being sent by their Indian banker direct to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, New Delhi under advice to the importer, as soon as the payment is made. The letter forwarding form 'A' as well as Form 'A'shall indicate the credit and segment under which the import licence was issued.

(i) Both the Indian importer and Indian banker will ensure that all the requisite information is given correctly, fully and in specific terms against the relevant columns.

(ii) Form 'A' will further bear the signature of the authorised officer of the Indian banker and stamped with its official seal.

NOTE.—These arrangements do not absolve the licencee of his responsibility to ensure that all forms 'A' are despatched promptly by his bank to the Ministry of Finance.

Refunds

26. If any refunds are received by the Indian importers from the foreign supplier or the insurer, a full report showing the amounts received, together with relevant particulars, will be sent to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance in the Form given in Annexure-IV.

MISCELLANEOUS

27. The goods imported under the licence should be used with due diligence and efficiency. For a minimum period of four years from the date of delivery of

*Application form prescribed by the Reserve Bank of India for remittances.

the goods imported under the licence, the importer shall (i) maintain all the relevant records necessary to identify such goods and their use, (ii) furnish or cause to be furnished to the Government of India such information as may be requested, concerning the expenditure of the proceeds of the Credit and the goods and services acquired out of such proceeds, and (iii) enable representatives of the Government of India and the Swedish International Development Authority to study the use of such goods and services if they so request.

28. The Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, which may arise between the Indian importer and the foreign suppliers.

29. The Indian importer shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by Government from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the credit agreement with the Swedish Authorities.

30. Any break or violation of any of the condition prescribed herein will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act, 1947, and orders issued thereunder

ANNEXURE I

(Para 12)

Table of Rates of Exchange

Country	Currency	Rate of exchange of foreign currency equivalent to Rs. 100/-
Austria	Schilling	228
Belgium	Franc	473
Canada	Dollars	12.00
Denmark	Kroner	74.30
France	Franc	58.80
Italy	Lira	80.50
Japan	Yen	37.40
Netherlands	Guilder	32.90
Norway	Kroner	67.60
Sweden	Kroner	54.70
Switzerland	Franc	37.00
West Germany	D.M.	32.20
U.K.	Pound	5.2950
U.S.A.	Dollar	12.21

ANNEXURE II

(In duplicate)

[Para 21(iv)]

To

The Secretary,
Ministry of Finance, Department of Economic Affairs,
WE-I Section, North Block, New Delhi-1.

SUBJECT.—*Indo-Swedish Development Co-operation Agreement, 1974—Import under the*

Sir,

In connection with the import ——————————————————
(short

description of the goods or services)
under the above credit, we furnish the following particulars:—

(a) Name and Address of importer.

(b) Import Licence:

(i) Number
(ii) Date
(iii) Amount
(iv) valid upto

(a) for contracting
(b) for shipment

(c) Name and Address of the foreign Supplier,

(d) Date of the contract:

or

Date of suppliers final letter of acceptance of the order.

(e) Short description of the goods to be imported:

	In foreign currency	In equivalent Indian Rupees
(f) Value of the contract: FOB price:		
Freight:		
Insurance:		
Total:		

	Date	Value of shipment in foreign currency
(g) The different dates on which the equipment will be shipped or services performed, the value of each shipment, or performed service based on the delivery schedules as stipulated in the contract:		

	Date...	Amount in foreign currency
(h) The date on which payments under the contract will fall due.		
(i) In respect of advance payment.		
(ii) Other payments		
(i) Name and full address of the dealer/bank authorised in foreign exchange through whom arrangements for opening a letter of credit will be made:		
(j) Name and full address of the foreign banker with whom the letter of credit will be established:		

2. Four certified copies of the contract or each of the order and the letter of acceptance and of the amendment (if any), the two *photostat* copies of the import licence are enclosed.

3. You are requested to get the contract approved for financing under the Indo-Swedish Development Co-operation Agreement, 1974 and issue authorisation for payments to the suppliers through their bankers, mentioned above.

Yours faithfully,
Licensee

ANNEXURE III

(Para 22)

No. F.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

LETTER OF AUTHORITY

NO.————————

To

(Indian Banker)

SUBJECT.—*Contract entered under Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1974—General Imports/Swedish Import Segment.*

Dear Sirs,

Messrs ————————————————————————————————————

(Indian Importer)

have entered into a contract with Messrs ————————————————————————————

(foreign supplier)

for the supply of ————————————————————————————————————

for the amount of ————————————————————————————————————

(in words)

————————CIF/C&F under the Indo-Swedish Development Cooperation Agreement, 1974 against Licence No. ————————————————————————

dated ————————————————— issued thereunder for the value of Rs.————————————————————————————————————

(in figures) (In words)

A copy of the contract is enclosed.

2. Out of the above amount of ————————————————— an amount of ————————————————is to be paid as Indian Agent's Commission in Indian currency. The sum to be paid to the supplier in foreign currency which will be financed out of the Swedish Credit will therefore amount to ————————.

3. You are authorised to open a letter of credit in favour of Messrs. ————————————————————through their bankers.

(foreign supplier)

viz Messrs.————————————————————————————————————

(foreign banker)

within a period of thirty days from the date of this letter, under intimation to the Controller of Aid Accounts and Audit, Jeevan Deep Building, 10-Parliament Street, New Delhi.

4. Before opening the letter of Credit, it may please be ensured that the Indian importer is in possession of a valid import licence.

5. In terms of para 10 Section VII of the Exchange Control Manual, you are required, to ensure that the date of the expiry of the letter of Credit is not later than fortyfive (45) days after the final date for shipment as stated in the relative import licence.

6. The letter of credit will also provide that Messrs.————————————————————

(foreign banker)

will forward directly to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi, one set of non-negotiable shipping document as each payment is made.

7. Receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,
Under Secy. to the Government of India.

1. Copy with a copy of the contract forwarded to:—
Reserve Bank of India, Exchange Control Department

(name of place).

2. Copy also forwarded for information:—

(1)_____
(Indian importer)

(2)_____
(foreign supplier)

(3)_____
(foreign bank)

It is requested that on each payment, one set of shipping and other documents (non-negotiable) alongwith payment advice may be forwarded direct to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10-Parliament Street, New Delhi (India).

(4) Controller of Aid Accounts and Audit with a copy of the contract and that of the import licence.

Under Secy. to the Govt. of India.

ANNEXURE IV

(para 26)

Report showing details of refunds received from Foreign Suppliers/Shippers/Insurers towards settlement of claims for Short Landings, Damages, etc. in respect of Imports

1. Name of the Indian Importer:
2. No. and date of import licence.
3. Value of the import licence.
4. No. and date of letter of Authority.
5. Amount of refund received.
6. Nature and refund (give brief details):
7. Reference to the relative Forms 'A' under which payment was made initially to the foreign suppliers (indicate name of the Indian banker and reference to their letter No. and date, forwarding form 'A' to the Ministry of Finance).
8. Whether or not refunds received are to be utilised for replacement of goods; if not, confirm that amount has been actually received by inward remittance of foreign exchange and encashed into rupees.
9. Any other necessary particulars.

Signature of the Authorised
Officer of the importing firm.

To

The Controller of Aid Accounts and Audit,
Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Jeevan Deep Building,
10, Parliament Street, New Delhi.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1974

विषय.—भारत स्वीडन विकास सहयोग समझौता 1974 के अन्तर्गत आयात ।

सं० 168-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74.—दो खंडों (1) सामान्य आयात और (2) स्वीडन के आयात से युक्त भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1974 के अन्तर्गत आयात लाइसेंसों के निगर्मन को नियंत्रित करने वाली जैसी शर्तें प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं वे जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं ।

परिशिष्ट

आमुख

भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1974 के अन्तर्गत स्वीडन की सहायता दो खंडों से युक्त है—(1) सामान्य आयात और (2) स्वीडन से आयात । प्रथम खंड के मामले में प्रतियोगी विश्वव्यापी निविदा के आधार पर आयात विश्व में कहीं से भी किए जा सकते हैं और सहायता ऋण या क्रेडिट के रूप में है, परन्तु द्वितीय खण्ड के मामले में आयात केवल स्वीडन से किए जा सकते हैं अर्थात् माल का स्वीडन में विनिर्मित होना आवश्यक है ।

आयात लाईसेंस

1. आयात लाइसेंस लागत बीमा भाड़ा के आधार पर संविदा करने के लिए 4 महीने की और भुगतान पूर्ण करने के लिए 12 महीने की प्रारम्भिक वैधता अवधि के साथ जारी किए जाएंगे । सभी भुगतान लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त होने से एक महीने के भीतर अवश्य पूर्ण करने चाहिए ।

2. प्रत्येक आयात लाइसेंस पर एक शीर्षक "भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता 1974—सामान्य आयात" अथवा "भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1974 स्वीडन से आयात" जैसा भी मामला हो, होगा । लाइसेंस कोड वर्गीकरण संख्या में प्रत्यय "आर/एस डब्ल्यू" होंगे । ये प्रत्यय आयात लाइसेंस भेजते हुए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पत्र में भी दुहराए जाएंगे ।

3. आयात लाइसेंस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर आयातक को आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य तथा सम्भाव्य तिथि जिस तक संविदा—दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे निर्दिष्ट करते हुए आयात लाइसेंस की प्राप्ति के तथ्य से आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई–1 अनुभाग) को सूचित करना चाहिए ।

4. जब तक नीचे के पैरा 21 में यथा निर्दिष्ट 4 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण संविदा—दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे तब तक संविदा करने से सम्बन्धित शर्त का पालन किया गया नहीं माना जाएगा ।

5. यदि इस शर्त का पालन 4 महीने के भीतर नहीं किया जाएगा तो आयात लाइसेंस अवैध हो गया समझा जाएगा । लेकिन, पार्टी द्वारा समय के भीतर शर्त का पालन न करने के कारण देते हुए एक आवेदन पत्र देने पर आयात लाइसेंस पुनर्वैध किया जा सकता है ।

6. पुनर्बैधिकरण के लिए आवेदन पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा गुणों के आधार पर विचार किया जाएगा और लाइसेंस संविदा करने के लिए अधिक से अधिक अगले दो महीनों की अवधि के लिए पुनर्बैध किया जाएगा। इस अवधि से आगे किसी प्रकार का पुनर्बैधीकरण कराने के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई--1 अनुभाग) के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

संविदा करना

7. एक संविदा में सामान्यतः दोनों पार्टियों अर्थात् भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता शामिल होगा अथवा इसमें भारतीय आयातक द्वारा दिया गया आदेश और विदेशी संभरक द्वारा उस आदेश की स्पष्ट शब्दों में स्वीकृति का पत्र हो सकता है।

8. दो पार्टियों के बीच विभिन्न शर्तों को बार बार संशोधित/परिशोधित करने से सम्बन्धित पत्र व्यवहार के अनुक्रम से समाविष्ट संविदा स्वीकृत नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में, दोनों पार्टियों द्वारा स्वीकृत शर्तों सहित और हस्ताक्षरित दस्तावेज तैयार करना आवश्यक है।

9. सामान्यता पक्की कीमतों के आधार पर लाइसेंस के पूरे मूल्य के लिए विदेशी संभरक के साथ एक संविदा की जानी है। लेकिन, विशेष कारणों से यदि एक से अधिक संविदा करना आवश्यक हो जाता है तो इसके लिए कारण देते हुए आर्थिक कार्य विभाग की पूर्ण अनुमति ले लेनी चाहिए।

संविदा की शर्तें

सायाभ्य

10. संविदा लागत-बीमा-भाड़ा या लागत और भाड़ा के आधार पर होनी चाहिए और उसमें जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य, बीमा प्रभार और भाड़ा अलग अलग स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होने चाहिएं। ये सब उस विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट होने चाहिएं जिसमें भुगतान करने हैं। संविदा सरकारी अभिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान द्वारा केवल लागत और भाड़ा के आधार पर ही होनी चाहिए। यदि कोई आयातक जहाज पर्यन्त निशुल्क के आधार पर कोई संविदा करने का इच्छुक है, तो उसे ऐसा करने के लिए कारण देते हुए आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई--1 अनुभाग) वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली का पूर्व अनुमोदन मांगना चाहिए।

11. यदि विदेशी संभरक के भारतीय एजेण्ट को कोई कमीशन चुकाया जाना है, तो उसे संविदा के मूल्य से अलग दिखाया जाएगा। भारतीय एजेण्ट का कमीशन भारतीय रुपये में चुकाया जाएगा, परन्तु आयात लाइसेंस के कुल मूल्य के प्रति संमंजित किया जाएगा।

12. संविदा का मूल्य उसी मुद्रा में व्यक्त होना चाहिए जिसमें विदेशी संभरक को भुगतान किया जाना है। इन धनराशियों का रुपये में परिवर्तन सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के खंड 15 के अन्तर्गत राजस्व विभाग (सीमाशुल्क) द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर पर और आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख को परचलित मुद्रा विनिमय की दरों पर किया जाएगा। मुद्रा विनिमय की वर्तमान दरें अनुबन्ध --1 में निर्दिष्ट की गई हैं।

संविदाओं की मूल्य सीमाएं

13. प्रत्येक संविदा का मूल्य 75 हजार रुपये के बराबर की धनराशि से कम नहीं होना चाहिए।

माल का उद्गम स्थान

14 (1) प्रथम खण्ड अर्थात् आमुख में उल्लिखित सामान्य आयात खण्ड के मामले में, किसी भी देश से बिना प्रतिबन्ध के आयात किए जा सकते हैं और ये आयात जहां तक साध्य हो,

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आधार पर होने चाहिएं। लाइसेंसधारी को नीचे के पैरा 21(3) में उल्लिखित संविदा दस्तावेज प्रस्तुत करते समय प्राप्त की गई बोलियों और विशेष संभरक तथा माल का चुनाव करने के लिए कारणों का एक विवरण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(2) आमुख में उल्लिखित द्वितीय खंड अर्थात् स्वीडन से आयात के अधीन माल स्वीडन में विनिर्मित होना चाहिए या दी जाने वाली सेवाएं स्वीडन मूल की होनी चाहिए माल के स्वीडन में विनिर्मित होने के सम्बन्ध में या स्वीडन मूल की सेवाओं के सम्बन्ध में एक अनुबन्ध समाविष्ट किया जाएगा।

पोतलदान

15. जहां तक संभव हो, प्रत्येक ऐसे वितरण पोत लदान के महीने को संकेतित करते हुए संविदा में वितरण/पोत परिवहन सम्बन्धी अनुसूचियां विशिष्ट शब्दों में होनी चाहिए।

पोतलदान अनुसूची में बाद में होने वाले किसी व्यतिक्रम से तुरन्त वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू ई–1 अनुभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को सूचित करना चाहिए।

भुगतान की शर्तें

16. स्वीडन क्रेडिट में विलम्बित भुगतानों की व्यवस्था नहीं है। इसलिए, विदेशी संभरकों को पोतलदानों के लिए नकद में पूर्ण भुगतान निम्नलिखित कंडिकाओं में यथा निर्दिष्ट किए जाएंगे।

अग्रिम भुगतान

17. संभरणों के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के अधिक से अधिक 10 प्रतिशत तक अग्रिम भुगतान संविदा लागू होने के समय प्रदान किया जा सकता है।

अन्य भुगतान

18. उपर्युक्त भुगतानों के बाद शेष धनराशि, प्रत्येक पोतलदान के माल के मूल्य के अनुसार पोत परिवहन अनुसूची के आधार पर यथा अनुपात देय होगी।

19. यह विशेष रूप से सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि भुगतान की शर्तें अर्थात् संविदा प्रभावी होने पर देय धनराशि और यह कि पोतलदानों आदि के लिए देय धनराशि संविदा में यथार्थ शब्दों में विस्तार के साथ वितरणों/भुगतानों आदि की अनुसूचियां प्रदर्शित करते हुए निर्दिष्ट की गई हैं। संविदा का मूल्य जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य, भाड़ा और बीमा तत्वों में यथार्थ रूप से अलग अलग होना चाहिए। संविदा में उपर्युक्त पैरा 14 (2) में निर्दिष्ट की गई शर्त भी यदि आवश्यक हो, समाविष्ट होनी चाहिए।

प्रथागत गारंटी

20. समझौते में जो प्रथागत गारंटी (यां) आयातक के हित की सुरक्षा के लिए आवश्यक हों उनका वह प्रबन्ध और व्यवस्था कर सकता है।

संविदा-दस्तावेजों को प्रस्तुत करना

21. संविदा तय किए जाने के 20 दिनों के भीतर ही आयातक को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ एक पत्र वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई–1 अनुभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजना चाहिए :—

(1) अंग्रेजी भाषा में विधिवत् निष्पादित और भारतीय आयातक तथा विदेशी संभरक दोनों द्वारा हस्ताक्षरित संविदा की और आगे होने वाले किसी प्रकार के संशोधन की चार प्रमाणित प्रतियां।

(2) संविदा के निष्पादन/आयातक द्वारा दिए गए आदेश की विदेशी संभरक द्वारा स्वीकृत की तिथि को संविदा करने के लिए वैध आयात लाइसेंस (मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति) की दो फोटोस्टेट प्रतियां ।

(3) सामान्य आयात खंड के मामले में उपर्युक्त पैरा 14 (1) में वर्णित विवरण पत्र ।

(4) दो प्रतियों में अनुबन्ध—2 में निर्धारित अन्य ब्यौरे ।

संविदा पर आगे कार्रवाई केवल तभी की जाएगी जब कि आयातक द्वारा ये सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हों ।

प्राधिकार-पत्र

22. यदि संविदा पूर्ण है, दस्तावेज आदि सही हैं, आयात लाइसेंस संविदा करने के लिए वैध है और भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1974 के अन्तर्गत वित्तदान के लिए उपयुक्त समझा जाता है तो वित्त मंत्रालय अनुबन्ध—3 जैसा एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा ।

भुगतानों के तरीके

23. (1) विदेशी संभरकों को भुगतान की व्यवस्था साख-पत्र स्थापित करके सामान्य बैंक सूत्रों के माध्यम से या अर्थ संग्रह के आधार पर की जाएगी ।

(2) भारतीय आयातक केवल तब साखपत्र स्थापित करेगा जब कि पिछले पैरा में उल्लिखित प्राधिकार पत्र वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कर दिया गया हो और यह साख-पत्र सर्वथा ऐसे प्राधिकार पत्र के अनुसार होगा ।

(3) विदेशी मुद्रा विनिमय का प्राधिकृत व्यापारी भारतीय बैंकर किसी भारतीय आयातक को साख-पत्र स्थापित करने के लिए तब तक सुविधाएं प्रदान नहीं करेगा जब तक उसे इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय से एक प्राधिकार पत्र सीधे प्राप्त न हो गया हो और भारतीय बैंकर केवल ऐसे प्राधिकार पत्र में निहित अनुदेशों के अनुसार ही ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा या धन परेषणों की अनुमति देगा ।

24. उस विदेशी बैंक का जिसके साथ साखपत्र स्थापित किया गया है यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपरक्राम्य बीजकों /पोत परिवहन दस्तावेजों का एक सेट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षक नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को ठीक उसी समय भेजेगा जिस समय वह ऐसे दस्तावेज उस भारतीय बैंकर को भेजता है जिसने साख पत्र खोला है । भारतीय बैंकर के लिए इस सम्बन्ध में उसके द्वारा स्थापित किए जाने वाले साखपत्र में एक शर्त शामिल करना आवश्यक है । तथ्य यह है कि इस प्रकार अपरक्राम्य पोत परिवहन दस्तावेजों के भेजे गए सेट को विदेशी बैंकर द्वारा भारतीय बैंकर को भेजे गए व्याख्यात्मक पत्र में लिखा जाएगा । बाद वाला (भारतीय बैंकर) दस्तावेजों पर आगे कार्रवाई करने से पहले इस बात की विशेष रूप से जांच करेगा ।

25 (1) भुगतानों की व्यवस्था करते समय भारतीय आयातक फार्म 'ए'* की एक अतिरिक्त प्रति भरेगा जो उसके बैंक द्वारा भुगतान होते ही आयातक को सूचना देते हुए सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, नई दिल्ली को भेजी जाएगी । वह पत्र जिसके साथ प्रपत्र 'ए', साथ ही साथ प्रपत्र 'ए' भेजे जाएंगे उसमें उस क्रेडिट एवं सेग्मेन्ट का संकेत होना चाहिए जिनके अन्तर्गत* आयात लाइसेंस जारी किया गया था ।

*रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा धन परेषणों के लिए निर्धारित आवेदन पत्र का प्रपत्र ।

(2) भारतीय आयातक और भारतीय बैंकर दोनों यह सुनिश्चित करेंगे कि अपेक्षित सूचना सही, पूर्ण और विशिष्ट शब्दों में सम्बन्धित कालमों के सामने दी गई है।

(3) आगे फार्म 'ए' पर भारतीय बैंकर के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर भी इसके कार्यालय की मोहर के साथ होंगे।

टिप्पणी :—इन व्यवस्थाओं में यह सुनिश्चित करना लाइसेंसधारी का अपना उत्तरदायित्व सन्निहित नहीं है कि सभी फार्म 'ए' उसके बैंक द्वारा वित्त मंत्रालय को तुरन्त भेजे गए हैं।

धन वापसी

26. यदि विदेशी संभरक या बीमा कर्त्ता से भारतीय आयातकों द्वारा कोई धनवापसी प्राप्त की जाती है तो सम्बन्धित ब्यौरों के साथ प्राप्त की गई धनराशियों को प्रदर्शित करते हुए एक पूर्ण रिपोर्ट अनुबन्ध–4 में दिए गए प्रपत्र में महायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी।

विविध

27. लाइसेंस के अधीन आयात किए गए माल का उपयोग उचित उद्योगशीलता और क्षमता के साथ होना चाहिए। लाइसेंस के अधीन आयात किए गए माल की प्राप्ति की तिथि से कम से कम चार वर्षों की अवधि के लिए आयातक (1) ऐसे माल की पहिचान के लिए आवश्यक और उसके उपयोग का सभी सम्बन्धित रिकार्ड रखेगा, (2) क्रेडिट की रकम के खर्च से सम्बन्धित और ऐसी रकमों से प्राप्त माल और सेवाओं से सम्बन्धित ऐसी सूचना भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत कराने का कारण उत्पन्न करेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए, और (3) भारत सरकार के प्रतिनिधियों और स्वीडन के अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण को ऐसे माल और सेवाओं के उपयोग का अध्ययन करायेगा यदि वे ऐसा करने का अनुरोध करें।

28. भारतीय आयातक और विदेशी संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो भारत सरकार उसके लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी।

29. भारतीय आयातक को आयात लाइसेंस से सम्बन्धित किसी एक मामले या सभी मामलों के सम्बन्ध में और स्वीडन के प्रधिकारियों के साथ क्रेडिट समझौते के अन्तर्गत सभी दायित्वों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का तुरन्त पालन करना होगा।

30. इसमें निर्धारित किसी शर्त के किसी प्रकार उल्लंघन या भंग करने पर आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के और उसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों के अधीन समुचित कार्रवाई की जाएगी।

अनुबन्ध 1

(कंडिका 12)

विनिमय की केन्द्रीय दर की सारिणी

देश	मुद्रा	100 रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा की विनिमय दर
आस्ट्रिया . . .	शिलिंग	228
बेल्जियम . . .	फ्रैंक	473
कनाडा . . .	डालर	12.00
डेन्मार्क . . .	क्रोनर	74.30
फ्रांस . . .	फ्रैंक	58.80
इटली . . .	लीअरा	80.50
जापान . . .	येन	37.40
नीदरलैण्ड्स . . .	गिल्डर	32.90
नार्वे . . .	क्रोनर	67.60
स्वीडन . . .	क्रोनर	54.70
स्विटजरलैण्ड . .	फ्रंक	37.00
पश्चिम जर्मनी . .	डी एम	32.20
यू० के० . . .	पौंड	5.2950
संयुक्त राज्य अमरीका .	डालर	12.21

अनुबन्ध 2

(दो प्रतियों में)

[कंडिका 21(4)]

सेवा में,

सचिव,
वित्त-मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
डब्ल्यू ई—1 अनुभाग, नार्थ ब्लाक,
नई दिल्ली–1.

विषय : भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1974—इसके अन्तर्गत आयात।

महोदय,

उपर्युक्त क्रेडिट के अन्तर्गत ——————————

(माल अथवा सेवाओं का संक्षिप्त विवरण)

आयात के सम्बन्ध में हम निम्नलिखित ब्योरे भेजते हैं:—

(क) आयातक का नाम तथा पता

(ख) आयात लाइसेंस

(1) संख्या

(2) दिनांक

(3) धन-राशि

(4) कब तक वैध है :—

(क) संविदा के लिए

(ख) पोत, लदान के लिए

(ग) विदेशी संभरक का नाम तथा पता

(घ) संविदा का दिनांक :
अथवा

आदेश के लिए संभरक के अन्तिम अनुमोदनपत्र का दिनांक

(ङ) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण

(च) संविदा का मूल्य : विदेशी मुद्रा में समतुल्य भारतीय रु० में

जहाज पर निशुल्क मूल्य :

भाड़ा :

बीमा :

कुल :

(छ) संविदा में यथा निर्धारित संभरण की अनुसूचियों के आधार पर विभिन्न तिथियां जिनको उपकरण लदान किए जाएंगे अथवा सेवाएं निष्पादित की जाएंगी, प्रत्येक लदान अथवा निष्पादित सेवाओं का मूल्य

दिनांक	विदेशी मुद्रा में लदान का मूल्य

	दिनांक	विदेशी मुद्रा में राशि
(ज) वह तिथि जिसको संविदा के अन्तर्गत भुगतान करने होंगे :		
(1) अग्रिम भुगतान के सम्बंध में:		
(2) अन्य भुगतानों के सम्बन्ध में :		

(झ) विदेशी मुद्रा विनिमय में प्राधिकृत उस व्यापारी/बैंक का नाम और पता जिसके माध्यम से साख पत्र खोलने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी :

(ञ) उस विदेशी बैंकर का नाम और पूरा पता जिसके साथ साखपत्र स्थापित किया जाएगा ।

2. संविदा (अथवा प्रत्येक आदेश तथा स्वीकृति पत्र) तथा संशोधन (यदि कोई हो) की चार प्रमाणित प्रतियां तथा आयात लाइसेंस की (दो फोटो–स्टेट) प्रतियां संलग्न की जाती हैं ।

3. आप से अनुरोध किया जाता है कि भारत-स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1974 के अन्तर्गत वित्तदान के लिए संविदा अनुमोदित करालें और उपर्युक्त संकेतित उनके बैंकर के माध्यम से संभरकों को भुगतान के लिए प्राधिकार जारी करें।

भवदीय,

लाइसेंसधारी ।

अनुबन्ध 3

(कंडिका 22)

संख्या :

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

प्राधिकार पत्र———————
संख्या :———————

सेवा में,
(भारतीय बैंकर)

विषय : भारत स्वीडन विकास सहयोग समझौता, 1974 के अन्तर्गत की गई संविदा—सामान्य आयात/स्वीडन आयात सेग्मेंट ।

प्रिय महोदय,

सर्वश्री ——————————— ने भारत स्वीडन विकास सहयोग
(भारतीय आयातक)
समझौता 1974 के अन्तर्गत जारी किये गये लाइसेंस संख्या ———————

———— दिनांक ———— मूल्य ———— के मद्दे (————
————(शब्दों में) रु० की धनराशि लागत बीमा भाड़ा/लागत तथा भाड़ा के लिए ————का संभरण करने के लिए सर्वश्री———— ———— के साथ संविदा करली है ।

(विदेशी संभरक)

संविदा की एक प्रति संलग्न की जाती है ।

2. ————की धनराशि में से————की धनराशि भारतीय मुद्रा में भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के रूप में चुकाई जानी है । इसलिए विदेशी मुद्रा में संभरक को चुकाई जाने वाली धनराशि जो कि स्वीडन क्रेडिट में से वित्तपुषत की जाएगी वह ————की धनराशि होगी ।

3. आपको सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, जीवन दीप बिल्डिंग, 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को सूचना देते हुए इस पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर ————के नाम में उनके बैंकर अर्थात् सर्वश्री ————

(विदेशी संभरक)

————के माध्यम से साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

4. साखपत्र खोलने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भारतीय आयातक के पास वैध आयात लाइसेंस हैं ।

5. मुद्रा विनिमय नियंत्रण नियम पुस्तक के खण्ड 7 की कंण्डिका 10 के अनुसार आपके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि साख-पत्र के समाप्त होने की तिथि सम्बद्ध आयात लाइसेंस में यथा अभिव्यक्ति पोत लदान के लिए अन्तिम तिथि के बाद 45 दिनों से अधिक की नहीं है ।

6. साखपत्र में यह भी व्यवस्था होगी कि सर्वश्री ————

(विदेशी बैंकर)

अपरक्राम्य पोतलदान दस्तावेजों के एक सेट को इस सम्बन्ध में सीधे ही सहायत लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली को भेजेगा कि प्रत्येक भुगतान पूरा कर दिया गया है ।

7. कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दें ।

भवदीय ,

अवर सचिव, भारत सरकार ।

1. संविदा की एक प्रति के साथ प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :—

रिजर्व बैंक आफ इंडिया, मुद्रा विनिमय नियंत्रण विभाग ————

(स्थान का नाम)

2. सूचना के लिए निम्नलिखित को भी प्रतिलिपि प्रेषित :—

1. ————

(भारतीय आयातक)

2. ————

(विदेशी संभरक)

3. ————

(विदेशी बैंक)

यह निवेदन किया जाता है कि प्रत्येक भुगतान पर भुगतान परामर्श के साथ पोत परिवहन तथा अन्य दस्तावेजों (अपरक्राम्य) का एक सेट सीधे ही सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक वित्त मंत्रालय जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली (भारत) को भेजा जाए ।

4. संविदा तथा आयात लाइसेंस की एक प्रति के साथ सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को ।

अवर सचिव, भारत सरकार ।

अनुबन्ध 4

(कंडिका 26)

आयातों के सम्बन्ध में अग्र अवतरण, क्षति आदि के लिए दावों के निपटान के लिए विदेशी संभरकों/पोत वाणिकों/बीमा कंपनियों से प्राप्त धन वापसियों के ब्यौरों को दर्शाने वाली रिपोर्ट

1. भारतीय आयातक का नाम ।
2. आयात लाइसेंस की संख्या तथा दिनांक ।
3. आयात लाइसेंस का मूल्य ।
4. प्राधिकार पत्र की संख्या तथा दिनांक ।
5. प्राप्त की गई धन-वापसी की राशि ।
6. उसकी किस्म और धनवापसी ।
 (संक्षिप्त ब्यौरे दें)
7. उस सम्बद्ध प्रपत्र 'ए' के लिए संदर्भ जिसके अन्तर्गत विदेशी संभरकों को प्रारम्भिक भुगतान किया गया था । (वित्त मंत्रालय को प्रपत्र 'ए' भेजते समय भारतीय बैंकर का नाम तथा उनके पत्र की संख्या तथा दिनांक का संकेत करें) ।
8. क्या प्राप्त धनवापिसियों का प्रयोग माल की बदलाई के लिए किया जाना है या नहीं; यदि नहीं, तो इस बात का सुनिश्चय कर लें कि विदेशी मुद्रा विनिमय के भीतरी प्रेषण द्वारा वास्तव में धनराशि प्राप्त करली गई है और इसे रुपये में भुना लिया गया है ।
9. अन्य कोई आवश्यक ब्यौरे ।

आयात करने वाली फर्म के प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर :

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974